

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
नगरीय निकाय निदेशालय,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 12 सितंबर, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में कानपुर स्थित गंगा बैराज के वार्षिक रख- रखाव /अनुरक्षण हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (रामगंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश कानपुर के पत्र संख्या-5047/मु०अ०/रामगंगा/गं०वै०अनु०/ दिनांक 04-08-2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कानपुर स्थित गंगा बैराज के वार्षिक रख-रखाव/अनुरक्षण हेतु प्रावधानित धनराशि रू० 330.00 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-28/2023/2889/नौ-5-2023/001-175बजट/2011, दिनांक 16-06-2023 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू० 82.50 लाख का उपयोग हो जाने के दृष्टिगत द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू० 82.50 (रूपये बयासी लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय एतद्वारा निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, नगरीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ द्वारा कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से करते हुए आर०टी०जी०एस०/एन०ई०एफ०टी० के माध्यम से अधिशासी अभियंता, बैराज निर्माण खण्ड-2, कानपुर को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।
  - (2) स्वीकृत धनराशि का कोई भी अंश किसी बैंक/पोस्टऑफिस/डिपॉजिट खाता में नहीं रखा जायेगा।
  - (3) स्वीकृत की जा रही धनराशि उपर्युक्त कार्यों पर ही व्यय की जायेगी तथा किसी भी दशा में स्वीकृत की जा रही धनराशि अन्य कार्यों पर व्यय नहीं की जायेगी।
  - (4) व्यय किये गये मदों का विस्तृत विवरण तथा कराये गये कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रत्येक त्रैमास के अन्त तक निदेशक, नगरीय निकाय/नगर विकास अनुभाग-5, उ०प्र० शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
  - (5) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को दिनांक 31.03.2024 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।
  - (6) इस संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
  - (7) 'सेंटेज चार्ज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन' सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे।

यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रण इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 82,50,000 ( रुपये बयासी लाख पचास हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2215011010400 गंगा बैराज, कानपुर मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या-E-9-201-X-2023-24- दिनांक 12-09-2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
12.09.2023  
(कल्याण बनर्जी),  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-112/2023/4368(1)/नौ-5-2023/002-175BUDGET-2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 3- जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, कानपुर।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
- 5- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, कानपुर।
- 6- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।
- 7- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 8- नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर।
- 9- वरिष्ठ अधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
- 10- मुख्य अभियन्ता(राम गंगा), सिंचाई विभाग, उ0प्र0 98-कैनाल कालोनी, फूलबाग, कानपुर।
- 11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
- 12- निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 13- गार्ड फाईल/कंप्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,  
12.09.2023  
(कल्याण बनर्जी),  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

## Concurrence Sanction Report

Amount In : (Amounts in Lakhs of rupees) ▾

नगर विकास

स्वीकृति आदेश संख्या: 002-175BUDGET-2011 स्वीकृति तिथि: 11/09/2023


यू० ओ० संख्या: A009-20232024-002-175BUDGET-2011

अनुदान संख्या: 37 - नगर विकास विभाग

लेखाशीर्षक: 2215011010400 - गंगा बैराज, कानपुर

आयोजनेत्तर-मतदेय  
(धनराशि लाख रुपये में)

मानक मद	प्रावधान	पूर्व स्वीकृति	प्रेक्षित स्वीकृति	अनुमोदित स्वीकृति
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	330.00	82.50	82.50	82.50
योग :	330.00	82.50	82.50	82.50

  
(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव